

न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म0प्र0)
समक्ष:-दिलीप सिंह

आर.सी.एस.-300082ए/2014
 संस्थित दिनांक-01.08.14

1. केहरलाल, आयु 62 साल, पिता श्री शोभाराम, जाति नाई,
निवासी-सायल, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट
2. कुंवरियाबाई, आयु 70 साल, वल्द शोभाराम, जाति नाई,
निवासी-ग्राम उसरवाही, तहसील छुई खदान,
जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. सोनकुंवरबाई, आयु 68 साल, पति शंकरलाल, जाति नाई,
निवासी-ग्राम करौदाबहेरा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट
4. फूलकुंवरबाई, आयु 48 साल, पति बिहारीलाल,
निवासी-ग्राम जामुनपानी, तहसील बोडला,
जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़

.....वादीगण

- / / विरुद्ध / / -

1. कमललाल पिता चमरू, जाति नाई, उम्र-57 वर्ष,
2. समरलाल पिता चमरू, जाति नाई, उम्र-55 वर्ष,
3. सन्तलाल पिता पिता चमरू, जाति नाई, उम्र-53 वर्ष,
4. धरमलाल पिता चमरू, जाति नाई, उम्र-50 वर्ष,
5. परमलाल पिता चमरू, जाति नाई, उम्र-48 वर्ष,
6. प्रभु पिता चमरू, जाति नाई, उम्र-46 वर्ष,
7. सन्तराम पिता चमरू, जाति नाई, उम्र-42 वर्ष,
8. अगनूलाल पिता अमरू उर्फ अमरलाल, जाति नाई, उम्र-52 वर्ष,
9. तरासनबाई पिता अमरू उर्फ अमरलाल, जाति नाई, उम्र-46 वर्ष,
10. हरसनबाई पिता अमरू उर्फ अमरलाल, जाति नाई, उम्र-44 वर्ष,
सभी व्यवसाय कृषि, क्रमांक-1 से 7 निवासी-ग्राम टिंगीपुर, तहसील बिरसा,
जिला बालाघाट एवं क्रमांक-10 तितरी, तहसील बोडला,
जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़
11. मध्यप्रदेश शासन तरफे-श्रीमान कलेक्टर महोदय,
बालाघाट, जिला बालाघाट
12. उदासन पति कार्तिक, उम्र-35 साल, निवासी-कुराड़ी, महादुल्ला,
वार्ड नं-1 शिवाज नगर, नागपुर(महा.)

.....प्रतिवादीगण

- / / निर्णय / / -

(आज दिनांक-21/12/2017 को घोषित)

1. वादीगण ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं अंश निर्धारण हेतु एवं प्रति.क्र.1 लगा. 7, 9, 10, 12 ने विवादित भूमि के बंटवारा एवं कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया है।

2. वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में रिश्तेदार हैं तथा मूल पुरुष शोभाराम के वारसान हैं। भूमि ख.नं. 13/4 रकबा 6.00ए., ख.नं. 27/5 रकबा 1.50ए., ख.नं. 28/1 रकबा 1.50ए., ख.नं. 28/2 रकबा 4.38ए., ख.नं.231 रकबा 0.12 मौजा सायल प.ह.नं. 48 में स्थित है। शोभाराम ने उसके जीवनकाल में स्वअर्जित आय से ख.नं. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि क़य कर दिनांक-24.07. 1956 को उसके बड़े पुत्र चमरू एवं मंझले पुत्र अमरू उर्फ अमरलाल की नाबालिग अवस्था में उनके नाम से बयनामा कराया था। इस प्रकार उक्त भूमि शोभाराम के वारसानों की संयुक्त हक की भूमि थी। विवादित भूमि पर शोभाराम एवं उसके संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की संपत्ति होने से उसके सभी वारसानों का समान अंश व अधिकार है। वर्तमान में समस्त वारसानों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है। अमरू उर्फ अमरलाल के दो विवाह हुए थे, उसकी प्रथम पत्नी से अगनूलाल प्रति.क.8 उत्पन्न हुआ था तथा प्रथम पत्नी के फौत होने के पश्चात् उसने मालतीबाई से द्वितीय विवाह किया था, जिससे प्रति.क. 9, 10 एवं उदासनबाई उत्पन्न हुई थी। उसके पश्चात् अमरूलाल की मृत्यु हो गई थी। उदासनबाई जब दो तीन वर्ष की थी, तब मालतीबाई ग्राम सायल के श्यामसिंह गोंड के साथ फरार हो गई थी, साथ में उदासनबाई को भी ले गई थी, जिनका कोई पता नहीं होने से उन्हें प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है।

3. वादीगण ने उनके वाद पत्र में यह भी बताया है कि भूमि ख.नं. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि का विक्रयपत्र शोभाराम द्वारा उसके पुत्र चमरू एवं अमरू उर्फ अमरलाल नाम से करने के कारण उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में उनका नाम दर्ज रहा है एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् राजस्व अभिलेखों पर उनके वारसान प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हुआ है। इस कारण चमरू एवं अमरू उर्फ अमरलाल के वारसानगण ख.नं. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि का हिस्सा वादीगण को नहीं देने के उद्देश्य से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं एवं इसी आशय का आवेदन तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में दिनांक-13.12.12 को प्रस्तुत किया था। शोभाराम के पुत्र अमरू की मृत्यु होने एवं मालतीबाई के फरार होने के कारण प्रति.क. 8, 9, 10 की परवरिश एवं विवाह वादी क.1 द्वारा ही कराया गया था। शोभाराम द्वारा ख.नं. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि क़य करने के पश्चात् उस पर हाताबाड़ी मकान निर्माण किया था, जिसमें उसके सभी पुत्र/पुत्री परिवार सहित निवास करते थे तथा शोभाराम के जीवनकाल में उसका बड़ा पुत्र चमरूलाल ग्राम बाहकल जाकर अपनी पत्नी एवं बच्चों सहित निवास करने लगा तथा प्रति.क.9, 10 विवाह के पश्चात् उसकी ससुराल चली गई थी तथा वादी क.1 एवं प्रति.क.8

ग्राम सायल में शोभाराम द्वारा बनाई गई हाताबाड़ी में निवास कर रहें हैं तथा वादी क्र.1 एवं प्रति.क्र. 8 ख.नं. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि पर मालिक काबिज होकर कृषि कार्य कर उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने उनके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रतिवादी क्र-1 लगा. 5 एवं प्रति.क्र. 9, 10, 12 की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर प्रतिदावा में बताया है कि वादीगण द्वारा ख.नं. 13/4 की भूमि प्रति.क्र. 1 लगा. 7 के पिता चमरू एवं प्रति.क्र. 8 लगा. 10 व 12 के पिता अमरू द्वारा कय की गई स्वअर्जित भूमि है। मृतक चमरू एवं अमरू का मौजा हर्राभाट में एक मकान आबादी-आवास में था, जिसे बेचकर चमरू एवं अमरू द्वारा उक्त भूमि कय की गई थी। शोभाराम का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है, इसलिए प्रतिदावा के रूप में अलग से मांगनी कर यह प्रतिदावा पेश किया गया है। ख.नं. 13/4 की भूमि चमरू एवं अमरू की स्वअर्जित भूमि होने के कारण चमरू के वारसान प्रति.क्र.1 लगा. 7 तथा अमरू के वारसान प्रति.क्र.8 लगा. 10 व 12 के हक मालिकी की भूमि है। उक्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। प्रति.क्र.1 लगा. 7, प्रति.क्र.8 लगा. 10 एवं 12 का उक्त भूमि पर आधा अंश होकर वह 3-3 एकड़ भूमि के अंशधारी हैं एवं वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादीगण ने पैतृक संपत्ति को स्वअर्जित संपत्ति में जोड़कर वाद पेश किया है। ख.नं. 13/4 की स्वअर्जित भूमि पर वादीगण का हक नहीं है। प्रति. क्र-1 लगा. 7 तथा 9, 10, 12 ने उनका प्रतिदावा स्वीकार कर वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. वादीगण ने प्रति.क्र. 1 लगा. 7 एवं प्रति.क्र. 9, 10, 12 के प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिदावा को अस्वीकार कर अधिकतर उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जिनका उल्लेख वादीगण ने उनके वादपत्र में किया है। वादीगण ने उनके विशिष्ट कथन में बताया है कि प्रतिवादीगण के पिता चमरू व अमरू के द्वारा उक्त भूमि कय नहीं की थी, ना ही उनके द्वारा ग्राम हर्राभाट की संपत्ति विक्रय कर उक्त भूमि कय की गई थी। चमरू एवं अमरू, शोभाराम के जीवनकाल में अलग-अलग निवास करते थे एवं वादी क्र. 1 ख.नं. 13/4 की भूमि पर कृषि कार्य करता है एवं उक्त भूमि पर उसका कब्जा है। उक्त भूमि पर शोभाराम के सभी वारसानों का 1/6 अंश है। अनुविभागीय अधिकारी बैहर राजस्व के प्रकरण में यह निराकृत किया जा चुका है कि वादी क्र.1 का उक्त भूमि पर कब्जा व कास्त विगत 50 वर्ष से भी अधिक समय से है। प्रतिवादीगण का प्रतिदावा अवधि

बाह्य है। वादीगण ने प्रतिवादीगण का प्रतिदावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

6. प्रकरण में प्रति.क्र.-8 दिनांक-03.12.2014 को एवं प्रति.क्र.11 दिनांक-15.09.15 को एकपक्षीय हुए हैं। इस कारण प्रति.क्र.-8 एवं 11 की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया है।

7. प्रकरण में तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त संपत्ति मौजा सायल प. ह.नं-48, रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-13/4 रकबा 6.00 एकड़, खसरा नंबर 27/5 रकबा 1.50 एकड़, खसरा नंबर-28/1 रकबा 1.50 एकड़, 28/2 रकबा 4.38 एकड़, मौजा बाहकल खसरा नंबर-231, रकबा 0.12 एकड़ भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से कय किये जाने से यह संपत्ति वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति है ?	“प्रमाणित नहीं।”
2	क्या वादग्रस्त संपत्ति के पैतृक संपत्ति होने से वादीगण का इसके एक अंश पर स्वत्व है ?	“प्रमाणित नहीं।”
3	क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पक्षकारों के असंयोजन के दोष से युक्त है ?	“प्रमाणित”
4	क्या विवादित संपत्ति प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से कय की गई थी ?	“प्रमाणित नहीं।”
5	क्या विवादित संपत्ति का वर्तमान में स्व. चमरू व स्व. अमरू (प्रतिवादीगण के पूर्वज) के बीच बंटवारा किया जाकर सभी को उनके अंश का स्वत्व है ?	“प्रमाणित नहीं।”
6	सहायता एवं खर्च ?	“वादीगण का वाद पत्र एवं प्रति.क्र.1 लगा. 07 एवं प्रति.क्र. 09, 10, 12 का प्रतिदावा निर्णय की कंडिका-19 के अनुसार निरस्त किये गये। ”

वादप्रश्न क.-1,2,4,5 का निराकरण:-

वाद प्रश्न क 1, 2, 4, 5 एक दूसरे से संबंधित हैं, प्रकरण में साक्ष्य की पुरावृत्ति नहीं हो। इस कारण उक्त वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. वादी केहरलाल वा.सा.01 ने उसके अभिवचन के अनुरूप उसके मुख्य परीक्षण के कथन में बताया है कि मूल पुरुष शोभाराम की ग्राम बाहकल एवं ग्राम सायल में पैतृक स्वअर्जित संपत्ति ख.नं. 13/4 रकबा 6.00ए., ख.नं. 27/5 करबा 1.50ए., ख.नं. 28/1 रकबा 1.50ए., ख.नं.28/2 रकबा 4.38ए. मौजा सायल प.ह. नं. 48 की भूमि है। स्व. शोभाराम ने उसके जीवनकाल में स्वअर्जित आय से भूमि सर्वे क 13/4 रकबा 6.00ए. ग्राम सायल की भूमि क्रय कर उक्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1956 को उसके पुत्र चमरु एवं अमरु की नाबालिग अवस्था में सोनूदास पनिका से क्रय कर रजिस्टर्ड कराया था। अमरु व चमरु की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि फौती दाखिला के पश्चात उनके वारसान प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हो गयी है। शोभाराम भूमि ख.नं. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि में मकान हाथाबाड़ी बनाकर परिवार सहित निवास करता था। शोभाराम की मृत्यु के पश्चात वर्तमान में उक्त हाथाबाड़ी में उक्त साक्षी उसके परिवार सहित निवास कर रहा है। चमरु विवाह पश्चात उसके परिवार सहित ग्राम बाहकल में निवास करता था एवं उसकी मृत्यु पश्चात उसके वारसान/प्रतिवादीगण ग्राम बाहकल में ही निवास करते हैं। संयुक्त हिन्दू परिवार की उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। सभी मौके पर अलग-अलग कास्त करते चले आ रहे हैं। ख.नं. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि पर उक्त साक्षी एवं प्रति.क्र.-08 कास्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण फौती दाखिला में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।

9. केहरलाल वा.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि अमरु उर्फ अमरलाल ने दो विवाह किये थे। प्रथम पत्नि से प्रति.क्र.-08 उत्पन्न हुआ था एवं द्वितीय पत्नी मालतीबाई से प्रति.क्र.-9,10,12 उत्पन्न हुई थीं। अमरलाल के फौत होने के बाद मालतीबाई प्रति.क्र.12 जब दो वर्ष की थी तब ग्राम सायल के श्यामसिंह के साथ फरार हो गयी थी एवं साथ में प्रति.क्र.12 को भी ले गयी थी, तब से उसका कोई पता नहीं है। परंतु न्यायालय के दिनांक 07.10.2014 के आदेश के द्वारा तरासनबाई का नाम वाद पत्र में प्रति.क्र.12 के रूप में संयोजित हुआ है। अमरु के फौत होने के पश्चात प्रति.क्र. 08 लगा. 10 की परवरिश शादी

विवाह उक्त साक्षी द्वारा किये गये थे। प्रतिवादीगण विवाह के पश्चात अपने ससुराल में निवास कर रही हैं। वादग्रस्त भूमि स्व. शोभाराम की पैतृक एवं स्वअर्जित भूमि है। जिस पर सभी वारसानों का 1/6 - 1/6 अंश (हक) निहित है। ख.नं. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि शोभाराम की स्वअर्जित एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि होने से सभी वारसानों का स्वत्व निहित है। वादीगण के साक्षी जगताराम वा.सा.02 एवं जीवनलाल बोपचे वा.सा.03 ने उनके मुख्य परीक्षण के कथन में वादीगण के अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए वादी केहरलाल वा. सा.01 की साक्ष्य की पुष्टि की है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्र.पी.01 लगा. प्र.पी.07 के राजस्व दस्तावेज एवं अमरलाल के जन्म से संबंधित ग्राम बाहकल के पैदायश रजिस्टर की नकल की प्रति प्र.पी.08 प्रस्तुत की है।

10. प्रतिवादी तरासनबाई प्रति.सा.01 ने वादीगण की साक्ष्य का खण्डन करते हुए उसके अभिवचन के अनुरूप उसके मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि भूमि सर्वे क्र. 27/5 रकबा 1.50ए., सर्वे क्र. 28/1 रकबा 1.50ए., सर्वे क्र. 28/2 रकबा 4.38ए. भूमि, सर्वे क्र. 231 रकबा 0.12 डि. भूमि मौजा सायल में स्थित है। उक्त 7.38ए. भूमि उक्त साक्षी की पैतृक संपत्ति है। जिसमें उक्त साक्षी के पूर्वज शोभाराम द्वारा 1.50ए. भूमि कय की थी। कुल 7.38ए. भूमि पैतृक भूमि है। उक्त साक्षी के दादा शोभाराम की मृत्यु के पश्चात चमरू, अमरू के वारसान तथा वादीगण का नाम संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज हैं। उक्त भूमि पर चमरू, अमरू के वारसानों का कब्जा है। साक्षी के पिता एवं चमरू को बचपन से उनके पिता द्वारा अलग करने के कारण साक्षी का पिता बचपन से ग्राम बाहकल में निवास करता था एवं ग्राम बाहकल के आसपास के गांव में घूमकर बाल काटने का जाति धंधा करता था। इसी बीच चमरू, अमरू को ग्राम हरभाट के बिसराम द्वारा उनके कब्जे की आबादी भूमि मकान बनाने के लिए दी थी। उस पर उक्त साक्षी के पिता एवं चमरू का मकान था। वह हरभाट जाने पर उसी मकान में रुकते थे एवं वहां पर बाल बनाते थे। उक्त साक्षी का पूरा परिवार ग्राम बाहकल में रहता था। उक्त अवधि में शोभाराम ग्राम सायल में निवास करते थे। शोभाराम कभी भी ग्राम सायल में नहीं रहा है।

11. तरासनबाई प्रति.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि चमरू, अमरू ने उनकी स्वयं की आय से भूमि सर्वे क्र 13/1 में से रकबा 6.00ए. भूमि सोनूदास पनिका से कय कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसका सर्वे क्र. 13/4 रकबा 6.00ए. है। उक्त भूमि ग्राम हरभाट का मकान बेचकर खरीदी थी। चमरू, अमरू की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर उनके वारसानों का नाम दर्ज हुआ था।

चमरू, अमरू की मृत्यु के बाद मृतक शोभाराम की मौजूदगी में उक्त भूमि का नामांतरण करवाया गया था। पारिवारिक व्यवस्थापन के अनुसार चमरू, अमरू के वारसान अपने-अपने पिता की तीन-तीन एकड़ भूमि पर काबिज हैं। अमरू के वारसान पारिवारिक व्यवस्थापन में 6.00ए. भूमि पर अलग-अलग काबिज हैं। केवल 0.75 डि. भूमि पर अगनू के हिस्से में अगनू का मकान है उस पर वह काबिज है। अगनू का विवाह नहीं हुआ है। केहरलाल उसी के पास रहता है। केहरलाल का पहले निवास ग्राम सायल में पैतृक भूमि पर बने मकान में था। उक्त 6.00ए. भूमि पर केहरलाल का कोई हक नहीं है। चमरू, अमरू के वारसान ने उनके पिता के हक की भूमि पर विभाजन कर उनका अंश निर्धारण किया जाना बताया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी टेबलप्रसाद प्रति.सा.02 ने उसकी साक्ष्य में प्रति.क.01 की साक्ष्य की पुष्टि की है। भरतलाल प्रति.सा.03 ने प्रतिवादीगण की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि साक्षी के गांव ग्राम हर्राभाट में चमरू, अमरू बाल काटते थे। ग्राम हर्राभाट आबादी वाला गांव था। जिस पर साक्षी के पिता ने चमरू व अमरू को मकान बनाने के लिए दिया था जहां पर वह मकान बनाकर रहते थे। चमरू, अमरू ने ग्राम हर्राभाट के मकान को बेचकर ग्राम सायल में 6.00ए. भूमि खरीदी थी। चमरू, अमरू ने उक्त भूमि स्वयं की कमाई से कय की थी। उक्त भूमि पर दोनों के वारसान काबिज हैं।

12. बाबूलाल प्रति.सा.04 ने प्रतिवादीगण की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि चमरू उसकी पत्नी सहित ग्राम हर्राभाट में रहता था। अमरू ग्राम बाहकल में आना-जाना करता था। चमरू की बड़ी पुत्री कमलाबाई मोहगांव गयी थी उसका जन्म हर्राभाट में हुआ था जो फौत हो गयी है। चमरू, अमरू का भरतलाल के कब्जे की बाड़ी में एक मकान था। उन्होंने उक्त मकान को बेचकर ग्राम सायल में 6.00ए. भूमि खरीदी थी। हर्राभाट का मकान बेचने के बाद दोनों भाई उक्त गांव में आना-जाना करते थे। दोनों ने जब ग्राम सायल की भूमि कय की थी तब चमरू 26 वर्ष व अमरू 22 वर्ष का था। चमरू, अमरू ग्राम बाहकल में रहते थे। बाल काटने का काम ग्राम हर्राभाट में करते थे। साक्षी के घर से उन्हें पांच कुडो धान साल भर की बिरत में दी जाती थी। प्रतिवादीगण ने उनके पक्ष समर्थन में प्र.डी.02 लगा. प्र.डी.06 के राजस्व दस्तावेज एवं प्र.डी.01 का तरासनबाई का जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

13. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.07 के विक्रय पत्र में यह उल्लेख है कि चमरू एवं अमरू की नाबालिग अवस्था में दिनांक 24.07.1956 को ग्राम सायल की सोनूदास पनिका से सर्वे क्र. 13/1 में से 6.00ए. भूमि कय की थी।

उक्त विक्रय पत्र में यह नहीं लिखा है कि उक्त भूमि पैतृक आय से या शोभाराम की आय से क्रय की गयी थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अमरलाल के ग्राम बाहकल के पैदायश रजिस्टर प्र.पी.08 में अमरलाल की जन्म तिथि 05.07.1948 लिखी है इससे यह दर्शित है कि जब प्र.पी.07 के विक्रय पत्र द्वारा भूमि क्रय की गयी थी तब अमरलाल की उम्र लगभग 8 वर्ष रही होगी। दिनांक 15.02.56 की संशोधन पंजी क्र. 12 के द्वारा भूमि सर्वे क्र 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि सोनूदास से क्रय करने के कारण चमरू एवं अमरू के नाम पर दर्ज हुई थी। वर्ष 2012-13 के खसरा पांचसाला प्र.पी.01 में उल्लेखित ग्राम सायल की भूमि सर्वे क्र. 27/5 रकबा 0.807हे. भूमि पर प्रति.क्र.01 लगा. 06, प्रति.क्र.08 लगा.10, वादीगण एवं रमसुला बेवा चमरू एवं मंशाराम के नाम दर्ज हैं।

14. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012-13 के खसरा पांचसाला प्र.पी.03 में ग्राम बाहकल की भूमि सर्वे क्र. 231 रकबा 0.049हे. भूमि एवं प्र.पी.05 की किश्तबंदी खतौनी में उल्लेखित भूमि पर प्रति.क्र.01 लगा. 10 एवं वादीगण एवं छोटीबाई का नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.डी.03 के खसरा पांचसाला में ग्राम सायल की भूमि सर्वे क्र 28/2 रकबा 1.76हे. एवं प्र.डी.04 के खसरा पांचसाला में ग्राम सायल की भूमि सर्वे क्र 228/1 रकबा 0.607हे. भूमि पर प्रतिवादी क्र. 01 लगा. 10, 12 एवं वादीगण के नाम भूमि स्वामी आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज हैं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2015-16 के खसरा पांचसाला प्र.डी.05 में ग्राम सायल की भूमि सर्वे क्र 27/5 रकबा 0.607हे. भूमि पर प्रति.क्र. 01 लगा. 10 एवं वादीगण एवं रमसुला, कमला, छोटीबाई के नाम एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2015-16 के खसरा पांचसाला प्र.डी.06 में ग्राम सायल की भूमि के सर्वे क्र 13/4 रकबा 2.428हे. भूमि पर प्रति.क्र.01 लगा.10, 12 एवं कमलाबाई का नाम भूमि स्वामी आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। वर्ष 2012-13 के प्र.पी.02 के खसरा पांचसाला में किसी भूमि का उल्लेख नहीं है। वादी केहरलाल ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-145 का आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर ने दिनांक 08.09.15 के आदेश के द्वारा वादग्रस्त भूमि के सर्वे क्र. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि पर प्रति.क्र.01 लगा.07 एवं प्रति.क्र.09, 10 के पिता अमरू एवं चमरू के नाम का हक होना पाकर आधे-आधे भाग पर कब्जा होना पाया था। इस कारण यह आदेश दिया गया था आवेदक एवं अनावेदक एक दूसरे के कब्जा में सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी प्रकार दखल नहीं दें। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तरासनबाई के प्र.पी.01 के विद्यालय के जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र में तरासनबाई की जन्म तिथि 24.07.1964 लिखी है।

15. प्रश्नाधीन प्रकरण में वादीगण ने वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि को पैतृक एवं उनके पिता की स्वअर्जित आय की संपत्ति बतायी है। प्रतिवादीगण ने भूमि सर्वे क्र. 13/4 उनके पिता की स्वअर्जित आय की संपत्ति बतायी है। प्र.पी.07 के विक्रय पत्र में यह नहीं लिखा है कि उक्त विक्रय पत्र के सर्वे क्र. 13/1 में से 6.00ए. भूमि स्व. शोभाराम ने चमरु एवं अमरु की नाबालिग अवस्था में किस आय से खरीदी गयी थी। वादीगण की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि प्र.पी.07 के विक्रय पत्र में उल्लेखित भूमि शोभाराम ने उसकी कौन सी स्वअर्जित आय से क्रय की थी। प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के अनुसार प्र.पी.07 के ग्राम सायल की भूमि सर्वे क्र.13/4 रकबा 6.00ए. भूमि चमरु एवं अमरु ने ग्राम हर्राभाट का मकान बेचकर क्रय की थी। भरतलाल प्रति.सा.03 की साक्ष्य के अनुसार ग्राम हर्राभाट का मकान उसके पिता ने चमरु व अमरु को ग्राम हर्राभाट में मकान बनाने के लिए जगह दी थी। उक्त मकान को बेचकर चमरु, अमरु की स्वयं की कमाई से उक्त भूमि क्रय की गयी थी। परंतु हर्राभाट के मकान को बेचने से संबंधित एवं हर्राभाट के मकान से संबंधित कोई दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। चमरु एवं अमरु की मृत्यु के बाद भूमि सर्वे क्र. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि किसके नाम पर दर्ज हुई है इसका कोई वर्तमान समय का खसरा पांचसाला उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि सर्वे क्र. 13/4 रकबा 6.00ए. भूमि का विक्रय पत्र उनके नाम पर हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि किसके नाम पर दर्ज हुई है इसका कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। चमरु एवं अमरु की मृत्यु हुई है, प्रतिवादीगण चमरु अमरु के तीसरी पीढ़ी के वारसान नहीं है इस कारण उक्त भूमि को पैतृक संपत्ति होना नहीं माना जाता है एवं उक्त भूमि कौन सी आय से क्रय की गयी थी यह भी प्रमाणित नहीं माना जाता है।

16. प्रकरण में भूमि सर्वे क्र. 27/5 रकबा 1.50ए., सर्वे क्र. 28/1 रकबा 1.50ए., सर्वे क्र.28/2 रकबा 4.38ए. सर्वे क्र. 231 रकबा 0.12ए. भूमि के संबंध में वादीगण ने प्र.पी.01 एवं 03 का खसरा पांचसाला प्रस्तुत किया है। परंतु उभयपक्ष ने उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम पर किस राजस्व दस्तावेज से दर्ज हुई ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने उक्त भूमियों के ऐसे कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये हैं कि उक्त सर्वे नम्बर की भूमि उनके पिता के नाम पर दर्ज रही हों और उनकी मृत्यु के बाद उक्त पक्षकारों को प्राप्त हुई हों। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि भूमि सर्वे क्र. 27/5 रकबा 1.50ए., सर्वे क्र. 28/1 रकबा 1.50ए., सर्वे क्र.28/2 रकबा 4.38ए. सर्वे क्र. 231 रकबा 0.12ए.

भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता ने किसी से क़य की थी या वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने किसी से क़य की थी ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि उक्त सर्वे नम्बर की भूमि उनके नाम पर किस आधार पर दर्ज हुई थी। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि वादग्रस्त संपत्ति वादीगण की पैतृक संपत्ति होने से वह उसके एक अंश के अधिकारी हैं। वादीगण ने चमरू एवं अमरू के जीवन काल में वादग्रस्त भूमि के स्वत्व एवं स्वयं का हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया था। उनकी मृत्यु के बाद वादीगण ने यह दावा प्रस्तुत किया है। अमरू उर्फ अमरलाल की द्वितीय पत्नी जीवित है या नहीं इसके बारे में किसी पक्ष ने नहीं बताया है। इस कारण भी विवादित संपत्ति के बारे में किसी प्रकार का आदेश देना उचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण के पूर्वज चमरू एवं अमरू ने वादग्रस्त भूमि क़य की थी जब वादीगण के वाद पत्र के अनुसार चमरू की आयु 12 वर्ष के लगभग एवं अमरू की आयु 9 वर्ष के लगभग थी। नाबालिग अवस्था की आयु में कोई व्यक्ति आय अर्जित नहीं कर सकता है। इस कारण विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों की स्वअर्जित आय से क़य की गयी भूमि नहीं मानी जाती है। यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि उक्त संपत्ति प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा स्वअर्जित आय से क़य की गयी थी।

17. प्रश्नाधीन प्रकरण में विवादित संपत्ति का प्रतिवादीगण ने बंटवारा किया जाकर अपने अंश के स्वत्व की मांग की है। वादीगण ने विवादग्रस्त संपत्ति के बंटवारे के संबंध में प्रतिवादीगण के पूर्वज चमरू एवं अमरू के जीवनकाल में कोई मांग नहीं की थी। चमरू एवं अमरू के वारसान ने एवं वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि के बंटवारे के लिए राजस्व न्यायालय में म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा-178 के अंतर्गत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है एवं किसी राजस्व न्यायालय ने ऐसा भी कोई आदेश नहीं दिया है कि विवादग्रस्त संपत्ति का बंटवारा विवादित होने के कारण स्वत्व निर्धारण के लिए सिविल न्यायालय से कोई आदेश लायें। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के बंटवारा के संबंध में कोई आदेश दिया जाना उचित नहीं है। प्रतिवादीगण विवादित भूमि के बंटवारा के संबंध में राजस्व न्यायालय में कार्यवाही कर सकते हैं।

वादप्रश्न क.-3 का निराकरण:-

18. केहरलाल वा.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि अमरू उर्फ अमरलाल की द्वितीय पत्नी मालतीबाई से प्रति.क.9, 10, 12 उत्पन्न हुए थे। प्रति.

क.12 की दो वर्ष की आयु में मालतीबाई श्यामसिंह के साथ फरार हो गयी थी तब से वे अभी तक फरार हैं। वादीगण ने अमरू उर्फ अमरलाल की द्वितीय पत्नी मालतीबाई जीवित है या उसकी मृत्यु हो गयी है ऐसी कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। मालतीबाई अगनू की द्वितीय पत्नी है इस कारण उसका अगनू की मृत्यु होने के कारण उसकी संपत्ति में हक एवं हिस्सा बनता है। वादीगण ने अगनू की द्वितीय पत्नी मालतीबाई को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष माना जाता है।

वादप्रश्न क.-6 सहायता एवं व्यय

19. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादीगण विवादग्रस्त संपत्ति सर्वे क. -13/4 रकबा 6.00ए., सर्वे क. 27/5 रकबा 1.50ए., सर्वे क.-28/1 रकबा 1.50ए., सर्वे क. 28/2 रकबा 4.38ए., प.ह.नं-48 मौजा सायल एवं भूमि सर्वे क. -231 रकबा 0.12ए. भूमि मौजा बाहकल तहसील बिरसा, जिला बालाघाट के संबंध में अपना वादपत्र एवं प्रति.क.1 लगा. 07 एवं प्रति.क. 09, 10, 12 अपना प्रतिदावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण का वादपत्र एवं प्रति.क. 1 लगा. 07 एवं प्रति.क. 09, 10, 12 का प्रतिदावा निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

1- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

2- अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1
तहसील बैहर, जिला बालाघाट